


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 1350/2020

उनवानी :- छुट्टन बनाम श्रीमति तारादेवी व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
11.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। बार – बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुकदमा नं. 1350/2020 उनवानी छुट्टनलाल व श्रीमति तारादेवी व अन्य दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)</p>